निलंबन काल में उपस्थिति न देने पर भत्ते व पेंशन का हक नहीं : हाईकोर्ट

पीसी, प्रयागराज, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि निलंबन काल में उपस्थिति न देने पर कर्मचारी को वेतन का हक नहीं बनता। याचिकाकर्ता 1992 में निलंबन की कार्रवाई झेल रहे थे। उन्होंने बिना वेतन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की मांग की थी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने निर्णय दिया है।

मामला नगर महापालिका परिषद बाराबंकी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 1992 में निलंबित की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्हें 1997 में दोषी ठहराया गया था। एक साल की सजा के दौरान उन्होंने अपील और पुनरीक्षण दायर की थी। जिला सेशन जज ने उनकी सजा को घटाकर 31 मार्च 1998 कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 30 जून 2000 को ड्यूटी ज्वाइन की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 1992 से 2000 तक की अवधि का वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनका निलंबन अवैध था। उन्होंने 1997 में दोषी ठहराए जाने तक एक साल की सजा के दौरान पुनरीक्ष्य न्यायालय में अपील और पुनरीक्षण दायर की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें 13 फरवरी 1997 को निलंबित कर दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका 31 मार्च 2016 को खारिज कर दी गई। बाद में उन्हें 30 जून 2000 को ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें 1997 से 2000 तक की अवधि का वेतन नहीं मिला है